न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला—टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:— 158 / 2014 निर्णय दिनांक :—27.12.2024

उनवानी दावा :

भेंरूलाल पुत्र देवा जाति जाट निवासी देवलीगांव आयु 80 वर्ष तहसील देवली जिला टोंक राज. —वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज.
2. श्रीमान तहसीलदार देवली जिला टोंक राज.

— प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—

श्री रामलाल कटारिया
श्री बाबूलाल कटारिया
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दावा उदघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की पुरानी कब्जाकाश्त की भूमि हाल खसरा नं. 689 रकबा 0.91 है0 नाडी, खसरा नं. 688 रकबा 0.46 है0 पाल जिसके साबिक खसरा नं. 417 मि. रकबा 2.13 बीघा 10 बिस्वांशी, खसरा नं0 431 मि. 2 बीघा बरानी 3 खसरा नं0 434 मि. रकबा 1 बीघा 17 बीस्वा 10 बिस्वांशी खसरा नं0 433 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा जोर आब एवं खसरा नं0 432 रकबा 2 बीघा एवं बिस्वा 10 बिस्वांशी दीगर वाके ग्राम देवली तहसील देवली जिला टोक राज0 में स्थित है जिसमें वादीगण का पिछले सौ वर्षो से कब्जा काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि पर वादी के पिता देवा, बडा भाई भूरा (भवंर लाल) एवं वादी भैरू लाल ने उक्त बंजड भूमि को फाड तोड कर काबिल काश्त करके काफी खर्चा करके जमीन की मेड पर हर वर्ष मिट्टी की पाल डाल डाल कर उक्त भूमि को नाडी का रूप दिया है। जिस पर वादी का अपने पिता के समय से ही सौ वर्षो से कब्जा रहा है। नाडी बन जाने के बाद वादी उक्त नाडी में सिंघाडा की खेती करता चला आ रहा है। वर्तमान मे वादी के पिता व वादी के बडे भाई का देहान्त हो चुका है। उक्त कब्जा काश्त की भूमि मे वादी अकेला ही सिंघाडा की काश्त कर रहा है। देवलीगांव (देवली) अंग्रेजो के समय रिहासती ठीकाना सावर जमीदार के अधीन था सावर ठीकाना के रिसासतदार श्री बृजराज सिंह थे। यह देवलीगांव व देवली की यह जमीन बीड कहलाती थी वादी के पिता भाई ने उक्त जमीन को फाड तोड कर काबिल काश्त बना कर नाडी बनायी थी। जिसके लिये कब्जे के आधार पर श्री बृजराज सिंह जी ठीकानेदार ठीकाना सावर ने वादी के पिता देवा बडा भाई भूरा व वादी भैरू जाट के नाम 4 बीघा नाडी का सवंत 2011 भादवा न्यामी 2011 को करीब 62 वर्ष पूर्व पट्टा जारी किया है। पट्टे की फोटो प्रति प्रमाणित प्रति साथ में संलग्न है। उक्त भूमि पर पिछले सौ वर्षो से वादी के कब्जा काश्त मे है। वादी वर्तमान में 80 वर्ष से भी अधिक का वृद्ध व्यक्ति है। वादी उक्त भूमि नाडी मे बरसात में पानी भर जाने से सिंघाडा की काश्त पिछले 60 वर्षो से कर रहा है। उक्त भूमि पर वादी के परिवार का पिछले सौ वर्षो से कब्जा है। वादी भूमिहीन है। वादी कब्जा काश्त की भूमि को अपने नाम खातेदारी कराने का अधिकारी है। वादी को खातेदार काश्तकार की घोषणा की जावें। उक्त भूमि का सरकार को पेलेन्टी देता रहा है। इस कारण भी वादी भूमि को अपने नाम खातेदार की घोषणा कराना चाहता है क्योकि सरकार को काफी पेलेन्टी देनी पड रही है। वादी को हल्का पटवारी ने दिनांक 01.10.2014 को नाडी

से सिंघाडा की फसल निकालने से मना किया है वादी को अपनी फसल लेने से मना करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो लगातार जारी है। वार सरकार के अधिकारियों के विरूद्ध पेश किया जा रहा है। वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से 80 सीपीसी नोटिस दिया जाना आवश्यक है जो नही दिया गया है जिसके लिये वाद पत्र के साथ धारा 80 (2) का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। देवली श्रीमान न्यायालय के क्षैत्राधिकार में हाने से श्रीमान न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार प्राप्त है। वाद उचित कोर्ट फीस पर श्रीमान न्यायालय में पेश है। वादी की अधियाचना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी के डिक्री इस प्रकार साबिर फरमायी जावे की वाद पत्र के चरण 1 में वर्णित आराजीयात खसरा नं0 688 रकबा 0.46 है0 व ख0नं0 689 रकबा 0.91 है0 नाडी का वादी को खातेदार काश्तकार की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के आदेश पारित फरमावें। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के विरूद्ध पेलेन्टी जारी नही की जावे। अन्य अनुतोष जो वादी के हक मे हो आदेश वादिर फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है:–चरण नं. 1 ख. नं. 689 रकबा 0.91 व ख. नं. 608 रकबा 0.46 है0 जो नाडी व पाल के रूप में है जिस पर वादी का कब्जा होना पी. 14 से जाहीर है। चरण नं. 2 वादी स्वयं सिद्ध करे। चरण नं. 3 वादी के पास एक पुरानी लिखावट सम्बन्धी दस्तावेज शामिल है। चरण नं. 4 सहमत नहीं है। चरण नं. 5 सरकारी भूमि पर काश्त करना व पेनल्टी जमा करना कानूनी प्रकिया है। गैर मुमकिन तलाई व पाल गै. मु. भूमियों में शामिल है जो आवंटन योग्य नहीं मानी जाती है।

तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

तनकियात बिन्दू:–

1. **आया वादी वाके ग्राम देवलीगांव हाल ख. नं. 689 रकबा 0.91 है0 नाडी व ख. नं. 688 रकबा 0.46 है0 पाल को कब्जे के आधार पर खातेदार–काश्तकार घोषणा कराने व राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवानो अधिकारी है ?** **–वादी–**
2. **आये प्रतिवादीगण, ख. नं. 689 रकबा 0.91 है0 तलाई व ख. नं. 688 रकबा 0.46 है0 पाल है जो आवंटन योग्य नहीं है? खारिज योग्य है?** **–पेरोकार सरकार–**

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर पी. डब्ल्यू–1 भैरूलाल पुत्र श्री देवा जाति जाट उम्र 82 वर्ष निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0 पी. डब्ल्यू– 2 बद्री लाल पुत्र श्री रामा जाति माली उम्र 75 वर्ष निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0 व पी. डब्ल्यू– 3 गोकल पुत्र श्री रामरतन जाति माली उम्र 80 वर्ष निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0 का पेश किया।

पी. डब्ल्यू– 1 ने वाद प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:–प्रदर्श–1 व 2 जमाबन्दी सम्वत 2017–20 प्रदर्श–3 पट्टा ठिकाना सांवर सम्वत 2011 प्रदर्श–4 व 5 प्रदर्श–6 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65, प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2028–31, प्रदर्श–8 खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत 2056, प्रदर्श–9 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–10 खसरा पत्रक सम्वत 2040, पेश कर वाद डिक्री करने की प्रार्थना की है।

पेरोकार सरकार के अनुपस्थित रहने से जिरह निल रहीं।

साक्ष्यवादी बंद की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेराकार सरकार द्वारा साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी की पुरानी कब्जाकाश्त की भूमि हाल खसरा नं. 689 रकबा 0.91 है0 नाडी, खसरा नं. 688 रकबा 0.46 है0 पाल जो साबिक खसरा नं. 417 मि. रकबा 2.13 बीघा 10 बिस्वांशी, खसरा नं0 431 मि. 2 बीघा बरानी 3 खसरा नं0 434 मि. रकबा 1 बीघा 17 बीस्वा 10 बिस्वांशी खसरा नं0 433 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा जोर आब एवं खसरा नं0 432 रकबा 2 बीघा एवं बिस्वा 10 बिस्वांशी दीगर वाके ग्राम देवली तहसील देवली से बने है जिसमें वादीगण का पिछले सौ वर्षो से कब्जा काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि पर वादी के पिता देवा, बडा भाई भूरा (भवंर लाल) एवं वादी भैरू लाल ने उक्त बंजड भूमि पाल डाल डाल कर उक्त भूमि को नाडी का रूप दिया है। नाडी बन जाने के बाद वादी उक्त नाडी में सिंघाड़ा की खेती करता चला आ रहा है। उक्त भूमि को कब्जे के आधार पर श्री बृजराज सिंह जी ठीकानेदार ठीकाना सावर ने वादी के पिता देवा बडा भाई भूरा व वादी भैरू जाट के नाम 4 बीघा नाडी का सवंत 2011 भादवा न्यामी 2011 को करीब 62 वर्ष पूर्व पट्टा जारी किया है। वादी कब्जा काश्त की भूमि को अपने नाम खातेदारी कराने का अधिकारी है। अतः वादी के पक्ष में वाद डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस कथन किया कि विवादित भूमि धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है व अब्दुर रहमान प्रकरण से प्रभावित होने से वाद खारिज योग्य है।

पत्रावली निर्णय में नियत की गई।

<u>तनकीवार निर्णयः–</u>

<u>तनकी नं. 1 का निर्णय :–</u>

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादी ने अपने वाद को साबित करने के के लिए प्रदर्श–1 व 2 में साबिक खसरा नं. 417 मि. रकबा 2 बीघा 13 बीस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नं0 431 मि. 2 बीघा बरानी 3 खसरा नं0 434 मि. रकबा 1 बीघा 17 बीस्वा 10 बिस्वांशी खसरा नं0 433 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा जोर आब एवं खसरा नं0 432 रकबा 2 बीघा एवं बिस्वा 10 बिस्वांशी दीगर भूमि जिम्मन नं. 1 की भूमि है व खसरा नं0 433 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा जोर आब जलोढ भूमि की श्रेणी में है।

प्रदर्श–3 पट्टा ठिकाना सावर सम्वत 2011 के वादी अथवा उसके पिता व भाई का नाम नहीं है।

प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 ख. नं. 689 रकबा 0.91 है0 किस्म गै. मु. तलाई व खातेदार के नाम में तलाई का प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 ख. नं. 688 रकबा 0.46 है0 किस्म गै. मु. पाल व खातेदार के नाम में पाल का अंकन है।

प्रदर्श–6 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 के अनुसार साबिक ख. नं. 432 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांशी, 431 मी. व 417 मी. से हाल ख. नं. 688 रकबा 0.46 है0 व ख. नं. 433 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा व साबिक ख. नं. 434 मी. रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा 10 बिश्वांसी से हाल ख. नं. 689 रकबा 0.91 है0 बने है।

प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2028–31 के अनुसार साबिक खसरा नं. 417/1 रकबा 2 बीघा 13 बीस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नं0 431 मि. 2 बीघा बरानी 3 खसरा नं0 434 मि. रकबा 1 बीघा 17 बीस्वा 10 बिस्वांशी सभी की किस्म बारानी बंजड़ है जो खातेदार के रूप सरकारी बंजड़ जमीन है तथा खसरा नं0 433 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा जोर आब एवं खसरा नं0 432 रकबा 2 बीघा एवं बिस्वा 10 बिस्वांशी दीगर भूमि है व पानी के नीचे की भूमि है, का अंकन है।

प्रदर्श–8 खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत 2056 के अनुसार ख. नं. 688 रकबा 0.46 है0 में फसल का नाम जो व काश्तकार के नाम में भैरू पत्र देवा व भंवरलाल पुत्र भैरू कोम जाट का नाम का अंकन है व ख. नं. 689 रकबा 0.91 है0 में फसल का नाम सिंघाड़ा व काश्तकार के नाम में भैरू पत्र देवा व भंवरलाल पुत्र भैरू कोम जाट के नाम का अंकन है।

प्रदर्श–9 नक्शा ट्रेस में ख. नं. 688 व 689 दर्शित है।

प्रदर्श–10 खसरा पत्रक सम्वत 2040 के अनुसार साबिक ख. नं. 432 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांशी, 431 मी. व 417 मी. से हाल ख. नं. 688 रकबा 0.46 है0 गै. मु. पाल व ख. नं. 433 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा व साबिक ख. नं. 434 मी. रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा 10 बिश्वांसी से हाल ख. नं. 689 रकबा 0.91 है0 से गै. मु. तलाई बने है।

उक्त प्रदर्शो का विवेचन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आते है कि वादी अथवा वादी का पिता व भाई साबिक ख. नं. 432 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांशी, 431 मी. व 417 मी. व ख. नं. 433 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा व साबिक ख. नं. 434 मी. रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा 10 बिश्वांसी के खातेदार नहीं रहे और उक्त भूमि पर केवल एक दस्तावेज खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत 2056 से कब्जाकाश्त व सिंघाड़े की खेती करना बताया है। चूंकि उक्त भमि पूर्व साबिक रिकॉर्ड में भी सरकारी भूमि रही है और इनसे बने नये हाल ख. नं. 688 रकबा 0.46 है0 गै. मु. पाल व ख. नं. 689 रकबा 0.91 है0 गै. मु. तलाई के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। गै. मु. पाल व गै. मु. तलाई राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है तथा अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित भूमि है।

अतः वादी द्वारा ख. नं. 688 व 689 के साबिक ख. नं. वादी या वादी के पूर्वजो की खातेदारी में नहीं रहने व वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि होने व अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने से तथा विवादित आराजी पर लगातार कब्जा साबित नहीं करने से इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं. 2 का निर्णय :– इस तनकी को साबित करने का भार पेरोकार सरकार पर था । तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि होने व अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने से आवंटन योग्य भमि नहीं है। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

आदेश

तनकीवार विवेचन, विश्लेषण से विवादित आराजी पर वादी द्वारा वाद को राजस्व दस्तावेज से साबित नहीं करने, वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि होने व अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने से तथा विवादित आराजी पर लगातार कब्जा साबित नहीं करने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली तरतीब तकमील होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 27.12.2024 सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली

व अलजाम श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टॉक.....

उनवानी दावा :

भेंरूलाल पुत्र देवा जाति जाट निवासी देवलीगांव आयु 80 वर्ष तहसील देवली जिला टोंक राज. –वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज.
2. श्रीमान तहसीलदार देवली जिला टोंक राज.

– प्रतिवादीगण–

दावा उदघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 158 सन् 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रामलाल कटारिया व श्री बाबूलाल कटारिया अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वादी द्वारा वाद को राजस्व दस्तावेज से साबित नहीं करने, वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि होने व अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने से तथा विवादित आराजी पर लगातार कब्जा साबित नहीं करने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज **तारीख 27 माह 12 सन् 2024** को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

ओहदा .....

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए